सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 204/2021 दिनांक- 24 अप्रैल 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना कन्धरापुर

लड़की का अपहरण करने वाला गिरफ्तार, अपहृता भी बरामद

दिनांक 20.03.2021 को वादी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर अपनी लड़की गीता (काल्पनिक नाम) जिसकी उम्र 14 वर्ष को हरिवंश राम पुत्र हरिनाथ राम ग्राम सेहदा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ और विमल कुमार पुत्र रामाशंकर बकीपुर सोनहरिया थाना कन्धरापुर आजमगढ़ के द्वारा बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में दाखिल किया गया। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 31/21 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी निरीक्षक कंधरापुर को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता की बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक-24.04.2021 को उ0नि0 घनश्याम यादव हे0का0 नागेन्द्र सिंह व म0का0 नीतू शुक्ला द्वारा तलाश अपहृता पुत्री सुनील कुमार नि0 सेहदा थाना कन्धरापुर, आजमगढ़ व अभियुक्त हरिवंश कुमार पुत्र हरिनाथ राम नि0 सेहदा थाना कन्धरापुर, आजमगढ की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त व अपहृता जिसकी आप तलाश कर रहे है वह इस समय भंवरनाथ चौराहे के पास कही जाने के लिए वाहन का इन्तजार कर रहे है मुखबिर की बात पर विश्वास करके मुखबिर को साथ लेकर मय हमराहियान के भंवरनाथ चौराहे पर जैसे ही पहुँचे कि मुखबिर खास ने इशारा करके दोनों व्यक्तियों को बताया कि यही लोग है और हट बढ़ गया, तब पुलिस टीम द्वारा घेर कर दोनों व्यक्तियों को रोका गया अपहृता लड़की रुक गयी, लड़का भागने लगा तो हमराही कर्मचारीगण के सहयोग से बल प्रयोग कर दौड़ाकर भंवरनाथ चौराहे पर पकड़ लिया गया, पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम हरिवंश कुमार हरिनाथ राम उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम सेहदा थाना कन्धरापुर आजमगढ़ बताया तथा लड़की का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम गीता (काल्पनिक नाम) थाना कन्धरापुर आजमगढ़ बताया जिसका फोटो मिलान किया गया तो यह वही अपहृता लड़की है जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 31/21 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया, और लड़का हरिवंश कुमार पुत्र हरिनाथ राम नि0 सेहदा थाना कन्धरापुर आजमगढ़ मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त है। अभियुक्त का गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1- हरिवंश कुमार पुत्र हरिनाथ राम उम्र करीब 23 वर्ष नि0 सेंहदा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 31/2021 धारा 363/366 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

पीडिता गीता (काल्पनिक नाम) थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 घनश्याम यादव थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 नागेन्द्र सिंह थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
3. म0का0 नितू शुक्ला थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 16 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।